राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
वित्त भवन, ए–ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ जयपुर–302005
(दूरभाष 0141–2740735, फैक्स 0141–2742309 ई–मेलः jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांकः– एफ.3(ई)(1)(6)भर्ती(2023)/अलेसे–III/5320 दिनांकः– 27.02.2025

आदेश

कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त भर्ती परीक्षा–2023 में कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध की गई अभ्यर्थी सुश्री/श्रीमती मनीषा गुप्ता (रोल नं. 732723) द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 981/2025 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.01.2025 में सुश्री मनीषा गुप्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।

सुश्री/श्रीमती मनीषा गुप्ता द्वारा कनिष्ठ लेखाकार भर्ती परीक्षा 2023 में परित्यक्ता (Divorcee) तथा मंत्रालयिक कर्मचारी (ME) श्रेणी में आवेदन किया गया। उक्त भर्ती परीक्षा में दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध किये जाने पर दस्तावेज सत्यापन हेतु विभाग में उपस्थित हुई। मंत्रालयिक श्रेणी के सम्बन्ध में राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963 के नियम 6(III) में निम्नानुसार प्रावधान वर्णित हैः–

"Provided also further that 12.5% of the posts of Junior Accountants to be filled in by direct recruitment shall be reserved for being filled in from amongst the ministerial staff of all the departments of the Government holding a post <u>in the Cadre substantively</u>, subject to their being found otherwise eligible for such recruitment under the Rules. This reservation shall be carried forward only to the next succeeding year."

सुश्री/श्रीमती मनीषा गुप्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर सुश्री गुप्ता वर्तमान में जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में मंत्रालयिक वर्ग में कार्यरत रही हैं, जिस कारण अभ्यर्थी ने कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती 2023 में मंत्रालयिक श्रेणी में आवेदन किया है। किन्तु राजस्थान सेवा नियम (R.S.R.) के अनुसार विभिन्न निगमों/बोर्ड/पंचायतराज/न्यायालयों आदि में कार्यरत मंत्रालयिक वर्ग के कर्मचारियों को राजस्थान सरकार के मंत्रालयिक कर्मचारी नहीं मानने के कारण इन्हें उक्त भर्ती में मंत्रालयिक श्रेणी हेतु निर्धारित आरक्षण का लाभ देय नहीं है। जिस कारण अभ्यर्थी को विभाग द्वारा "मंत्रालयिक श्रेणी में अपात्र अन्यथा पात्र" करते हुए सूची कर्मचारी चयन बोर्ड को प्रेषित की गई है।

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कनिष्ठ लेखाकार भर्ती 2013 के अन्तर्गत भी उक्तानुसार प्रकरण ध्यान में आये थे, किन्तु सेवा नियमों में प्रावधान नहीं होने के कारण ऐसे कार्मिकों को मंत्रालयिक श्रेणी का लाभ नहीं दिया गया था। ऐसे कार्मिकों को माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णयों के आधार पर राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा मंत्रालयिक श्रेणी में अभिस्तावना भिजवाने के उपरान्त ही कनिष्ठ लेखाकार के पद पर नियुक्ति आदेश जारी किये हैं।

कनिष्ठ लेखाकार भर्ती 2023 की विज्ञप्ति जारी होने की अंतिम दिनांक तक नियमों में संशोधन नहीं होने के कारण नियमों में उक्तानुसार प्रावधान निहित नहीं होने से विभाग द्वारा सुश्री/श्रीमती मनीषा गुप्ता को मंत्रालयिक श्रेणी हेतु अपात्र किया गया है। इस प्रकार सुश्री/श्रीमती मनीषा गुप्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः– एफ.3(ई)(1)(6)भर्ती(2023)/अलेसे–III/5320 दिनांकः– 27.02.2025
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. सचिव, कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
3. निजि सचिव, निदेशक महोदय।
4. उपविधि परामर्शी, कोष एवं लेखा विभाग।
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. सम्बन्धित अभ्यर्थी सुश्री मनीषा गुप्ता (रोल नं. 732723)
7. रक्षित/निजि पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक–II/III)